मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 22, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर. यादव, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1993-94 (संचालक स्थानीय निधि लेखा द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणी) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य, उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री :-

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1996-97 ;

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 ; तथा

(ग) निजी क्षेत्र में सौंपी गयी विद्युत परियोजना से संबंधित विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) दिनांक 11 नवम्बर, 1994 एवं दिनांक 27 मई, 1996, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मार्च 1990 से दिसम्बर 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति के प्रतिवेदन क्रमांक वि.प्रा.2 रायपुर विकास प्राधिकरण पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बद्रीलाल यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले में राहत कार्य के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवलाल दुग्गा, राजाराम तोड़ेम, सदस्य, बस्तर जिले के आदिवासियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, कमल पटेल, डॉ. माधवप्रसाद शास्त्री, सदस्य, मध्यप्रदेश तिलहन संघ द्वारा किसानों की फसल का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, भोपाल में पुलिस की मिली भगत से एक व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री कंकर मुंजारे, रामलखन सिंह (त्योंथर), रामलखन शर्मा, सदस्य, दुर्ग जिले में श्रमिकों द्वारा आंदोलन किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री प्रेम सिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले में मलेरिया का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, कांकेर लोक निर्माण उप संभाग अन्तर्गत भ्रष्टाचार होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री गोपाल परमार, सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, उज्जैन संभाग में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बच्चन नायक, सदस्य, रायसेन जिले की सोम डिस्टिलरी द्वारा शराब की अवैध बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.